

अनवान

1. श्री बद्दीलाल पिता सरिया मीणा नि. छाबडिया तह. जहाजपुर
2. श्री तेजवीर पिता बद्दीलाल मु. भुवाना मीणा नि. छाबडिया तह. जहाजपुर  
वादीगण.....

बनाम

1. श्री रामलाल पिता सरिया मीणा नि. छाबडिया तह. जहाजपुर
2. श्री जयलाल पिता फुन्दीलाल मीणा नि. छाबडिया तह. जहाजपुर
3. श्री सोराज पिता फुन्दीलाल मीणा नि. छाबडिया तह. जहाजपुर
4. श्री अशोक पिता फुन्दीलाल मीणा नि. छाबडिया तह. जहाजपुर
5. श्री फुलचन्द पिता फुन्दीलाल मीणा नि. छाबडिया तह. जहाजपुर
6. श्रीमति फुम्बा देवी पत्नि फुन्दीलाल मीणा नि. छाबडिया तह. जहाजपुर
7. श्री नाना पिता काना मीणा नि. छाबडिया तह. जहाजपुर
8. श्री दयाला पिता काना मीणा नि. छाबडिया तह. जहाजपुर
9. श्री सुखा पिता लक्ष्मण मीणा नि. छाबडिया तह. जहाजपुर
10. श्री परतीया पिता लक्ष्मण मीणा नि. छाबडिया तह. जहाजपुर
11. श्री छोटू पिता लक्ष्मण मीणा नि. छाबडिया तह. जहाजपुर
12. श्री फौरू पिता कालिया मीणा नि. छाबडिया तह. जहाजपुर
13. श्री दल्ला पिता लक्ष्मण मीणा नि. छाबडिया तह. जहाजपुर
14. श्रीमति नानी पत्नि नारायण मीणा नि. छाबडिया तह. जहाजपुर
15. मु. पानी पुत्री नारायण मीणा नि. छाबडिया तह. जहाजपुर
16. श्री कल्या पिता लक्ष्मण मीणा नि. छाबडिया तह. जहाजपुर
17. श्री फुम्बा पिता लक्ष्मण मीणा नि. छाबडिया तह. जहाजपुर
18. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण.....

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53ए, 92ए, 188 आर. टी. ए. ::

उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर (भीलवाडा)

वादीगण का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई है कि ग्राम भुवाना तेजा का बरडा प. ह. रावतखेडा तहसील जहाजपुर की आ.न. 622, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 635, 657, 660, 661, 662, 663 कुल कित्ता 14 रकबा 49.03 बीघा में वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रेकार्ड के हक व हिस्से अनुसार सहमति से हो रहे बंटवाडा के आधार पर बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार जहाजपुर को आदेश दिया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार जहाजपुर को लिखा गया।

तहसीलदार जहाजपुर ने जरिये पत्र दिनांक 15.05.2018 को बंटवाडा प्रस्ताव भिजवाया गया। जिसे शामिल फाईल किया गया। बंटवाडा प्रस्ताव पर वकील वादीगण की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। बंटवाडा प्रस्ताव से वादीगण भी सहमत है। जिससे बंटवाडा प्रस्ताव के अनुसार फाईनल डिक्री जारी किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार फाईनल डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है की :-


ग्राम भुवाना तेजा का बरडा प. ह. रावतखेडा तहसील जहाजपुर

क.सं.	नाम खातेदार	आराजी नं.	रकबा	किस्म	लगान
1	बदरी पिता सरिया 2/3 तेजवीर मु. भुवाना 1/3 मीणा सा. देह	657 / 1	0.15	चाही II	02.47
		622 / 1	02.04	बीड II	0.36
		कुल कित्ता 02	02.19		02.83
2	रामलाल 1/47, फुन्दीलाल 1/47 पिता सरिया, सुगना नाना दयाला पिता काना, काली बेवा काना 5/47, सुखा परती छोटु कालिया दल्ला नाराण कल्या फुम्बा पिता लक्ष्मण 40/47 मीणा सा. देह खातेदार रहन एबीबीजे जहाजपुर हिस्सा परती कल्या व फुम्बा का	622	21.11	बीड	
		624	1.17	खा.	
		625	2.15	चाही	
		627	0.04	बीड	
		628	1.04	चाही	
		629	2.14	चाही	
		635	3.02	चाही	
		657	3.03	चाही	
		660	4.06	जाव	
		661	1.03	चाही	
663	3.07	चाही			
664	0.10	बा. I			
	कुल कित्ता 12	45.16		63.53	

3.	रामलाल 1/50 फुन्दीलाल 1/50 बदरी 2/50 पिता सरिया, तेजवीर मु. भुवाना 1/50 सुगना नाना दयाला पिता काना काली बेवा काना 1/10 सुखा परती छोटु कालिया दल्ला नाराण कल्या फुम्बा पिता लक्ष्मण 8/10 मीणा सा. देह खातेदार रहन एबीबीजे जहाजपुर हिस्सा परती कल्या व फुम्बा का	626	0.04	गे.मु. आचा	
		662	0.04	गे.मु. आचा	
		कुल किता 02	0.08		

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में खाता अलग-2 दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री मुर्तिब किया जावे। पक्षकार खर्चा अपना-2 वहन करे।

आदेश आज दिनांक 15.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

()  
(धर्मराज गुर्जर )  
उपखण्ड अधिकारी,  
जहाजपुर (भीलवाडा)